

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, बारां

क्रमांक :-रसद/उ.मू.दु./23/753-68

दिनांक 22.09.2023

--:संशोधित विज्ञापित:--

इस कार्यालय द्वारा विज्ञापित क्रमांक: रसद/उ.मू.दु./23/736-51 दिनांक 20.09.2023 के द्वारा बारां जिले की रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। उक्त आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है। निम्न उचित मूल्य दुकानों के वितरण केन्द्र में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

क्र. सं.	उपखण्ड	क्षेत्र	उचित मूल्य दुकान का पूर्व विज्ञापित स्थान	उचित मूल्य दुकान का संशोधित विज्ञापित स्थान मय FPS कोड
1	बारां	नगरपरिषद् बारां	वार्ड न. 17	वार्ड न. 17(पुराना)(20956)
2		बारां ग्रामीण	बामला-1	बामला-1 (8481)
3			बामला-11	बामला-11 (7025)
4	छबड़ा	छबड़ा शहरी	वार्ड न. 17	वार्ड न. 5 व 6(पुराना)(21031)
5		छबड़ा ग्रामीण	बाहरी-1	बाहरी-1 (8540)
6			बाहरी-11	बाहरी-11(29706)
7			कडैयानोहर	कडैयानोहर (7128)
8	किशनगंज	किशनगंज ग्रामीण	छत्रगंज	खल्दा(नवीन ग्राम पंचायत) (पूर्व ग्राम पंचायत छत्रगंज) (8803)
9	अटरू	अटरू ग्रामीण	बडौरा-11	बडौरा-11 (8616)

रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के आवंटन से सम्बंधित योग्यता व समस्त नियम/शर्तें यथावत रहेंगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

जिला रसद अधिकारी
बारां

क्रमांक :-रसद/उ.मू.दु./23/753-68

दिनांक 22.09.2023

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।

4. श्रीमान उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
5. श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा संभाग, कोटा।
6. ए.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर को उक्त विज्ञप्ति विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने बाबत।
7. ए.सी.पी. डीओआईटी जिला कलेक्ट्रेट बारां को कलेक्ट्रेट की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. श्रीमान सांसद महोदय, बारां-झालावाड़।
9. श्रीमान विधायक महोदय, अन्ता, बारां-अटरू, छबड़ा, किशनगंज।
10. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, बारां को जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
11. उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला बारां।
12. तहसीलदार समस्त जिला बारां।
13. विकास अधिकारी समस्त जिला बारां।
14. आयुक्त नगरपरिषद् बारा/अधिशायी अधिकारी नगरपालिका समस्त।
15. प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक समस्त जिला बारां।
16. रक्षित पत्रावली।


जिला रसद अधिकारी
बारां